# ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE
# 24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
# COMMUNICATION DEPARTMENT

**Highlights of Press Briefing** **16 April, 2025**

**Dr Abhishek Manu Singhvi, MP and Chairman, Law, Human Rights & RTI department, AICC and Shri Jairam Ramesh, MP and General Secretary (Communications), AICC addressed the media at AICC Office, today.**

**श्री जयराम रमेश ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा-** नमस्कार साथियो। पिछले दो दिन से प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी देने की राजनीति जारी है। कांग्रेस नेतृत्व को और खासतौर से कांग्रेस संसदीय दल की नेता, श्रीमती सोनिया गांधी जी को और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी जी को जानबूझ कर निशाना बनाया गया। नेशनल हेराल्ड का केस है, इसकी विस्तार से आपको जानकारी सांसद और मेरे साथी डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी देंगे।

पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक संकट से हम गुजर रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए ये एक प्रयास है। जो जनता के मुद्दे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, विदेश नीति को लेकर, अमेरिका को लेकर, चीन को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था में जो हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उस पर तो वो बहस नहीं होने देंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो ये इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए प्रयास किया गया है और जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है और सूत्रधार दो व्यक्ति हैं, जिनकी मानसिकता ही आपराधिक है। ये आपराधिक मानसिकता, दो व्यक्ति सूत्रधार हैं इस राजनीति के।

हम चुप नहीं रहेंगे, आज भी राहुल गांधी जी गुजरात में हैं और आज सारे देशभर में विभिन्न राज्यों में पीसीसी और डीसीसी के द्वारा प्रदर्शन भी हुए हैं ये ईडी के मामले को लेकर। तो हमें चुप नहीं किया जा सकता। जो कुछ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री करें, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे नेता और हमारी पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दे हम उठाते रहेंगे।

तो अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी आपको विस्तार से इस केस की क्या पृष्ठभूमि है, इसकी हकीकत क्या है, जिस तरीके से तोड़-मरोड़ कर इस केस को अपराध बनाया जा

रहा है, क्राइम शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर हकीकत क्या है, असलियत क्या है, आपको अभिषेक मनु सिंघवी जी बताएंगे।

**Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** I will be showing to you and I will make as factually and simple as possible and frequently these issues get lost in rhetoric or legalese, but, I want to genuinely show to you why there is not even the whiff of a crime? Not even a whiff of a crime of any sort and how a fake issue, created around a fake narrative, created around a non-existent case is meant to deviate, diverge and digress. For the reasons we all know because reasons like; unemployment are difficult to answer, falling GDP is difficult to answer, and social unrest is difficult to answer. And this is actually is case which is nothing, but vendetta in legal disguise. The ED should answer that why no NDA ally, no BJP leader is ever-ever touched by the ED? Selective justice is actually nothing, but political thuggery.

यह दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको यह प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है और अगर यह राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता, तो यह हास्यस्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के सात अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि It's a one trick wonder. मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के, रुपया बिना स्थानांतरण हुए, 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी, संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई यह कहानी और यह आवश्यक है आप लोगों को समझना, क्योंकि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। यह सिर्फ डिटेल की बात नहीं है, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है, कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर वह बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वह सफल नहीं हुई... जैसा कि कई ऐसी चीजों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वह तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई एजेएल, जो बहुत पुरानी कंपनी है। तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में अलग-अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था, इत्यादि-इत्यादि स्वतंत्रता संग्राम के वक्त।

कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग-अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपए दिए। कई दशकों बाद वह टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और यह उद्देश्य था कि यह पुराना नाम - नेशनल हेराल्ड, जो एक कंपनी का नाम था

एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेराल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज अलग-अलग विभिन्न भागों में। तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए - पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेब्ट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण ना रहे। तो यह जो लोन था, यह 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पर, उसको ट्रांसफर किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया... वो क्या कंपनी थी मैं अभी आऊंगा उस पर।

अब वो ऋण जब ट्रांसफर हुआ, सिर्फ ट्रांस्फर हुआ कागजी ऋण, कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वह ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेराल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक एक चीज ऐसी करके, जो दुनिया भर की हर कंपनियां, आप लोग दिन-प्रतिदिन करते हैं निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट Debt into Equity. तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया - एजेएल के शेयर्स इशू हो गए यंग इंडिया को। तो यंग इंडिया बन गई 99 प्रतिशत शेयर होल्डर एजेएल की और यंग इंडिया में डायरेक्टर्स थे मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडीस थे, सैम पित्रोदा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि-इत्यादि।

अब इतना ही हुआ, अब यहां पर एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, ये जरूरी है समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं अचल संपत्तियां 100 एजेएल के, इसको 100 मानिए... कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, उधर है। यह एजेएल है, यह इन सबकी मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100 प्रतिशत शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में, ये यंग इंडिया है।(उदाहरण बताते हुए कहा) ना यह अचल संपत्ति हिली, ना एजेएल हिली, एक रुपया नहीं हिला, ना संपत्ति हिली, कोई खरीद-फरोख्त नहीं हुआ, बेचना-खरीदना नहीं हुआ।

अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपए का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी... अगर हमारा यह उद्देश्य होता, तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है - यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन-8, अनुच्छेद-आठ की Not for Profit charitable company. मतलब क्या होता है इसका - हर कंपनी में दो या तीन चीजें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें, जो भी कमाई होती है उस सबको आप डिविडेंड के तौर पर बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में एक पैसा, अगर

यह 50 करोड़, 500 करोड़, 5,000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है, तो एक पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद-आठ के अंतर्गत। दूसरा - कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर-गाड़ी नहीं। तीसरा - कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, ना बेची। चौथा - इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। यह Not for Profit सेक्शन-8 कंपनी थी।

अब इन तथ्यों पर जब ना प्रॉपर्टी हिली... जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी एजेएल ही है। सिर्फ एजेएल की शेयर होल्डिंग अब 99 प्रतिशत यंग इंडिया की है और यंग इंडिया में बैठे हैं तीन-चार डायरेक्टर्स, जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है... तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग। यंग इंडियन के हैं सोनिया गांधी जी, मैंने बोला राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, ऑस्कर फर्नांडीस थे, शायद एक नाम और भी होंगे यही मुख्य नाम हैं... सुमन दुबे होंगे।

नंबर टू - मूल बात यह नहीं है कि कौन थे नाम, मूल बात यह है कि जब यह लोग हैं या कोई भी लोग हो, तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहां उठाया? इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ यह केस है, केस है कि 99 प्रतिशत शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर। यह मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की, जो एजेएल ऑन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं अब, उन सब ने यह पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई। एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहां है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है?

अगर किंडरगार्टन क्लास का, व्यक्ति पहले वर्ष जो कानून में है, वह उसको उठाए तो वह हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हुए 55 को आज लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए... एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है, जिसका आज ईडी मजाक उड़ा रही है। पांच न्यायाधीश का, इसको कहते हैं बच्चा गजधर। वह कहता है कि अगर यह होल्डिंग कंपनी के पास 100 प्रतिशत शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100 प्रतिशत है तो भी यह कंपनी होल्डिंग, इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं, यह और यह उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप इसी में रहती है। यह एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, Vodafone में भी यही हुआ है, इत्यादि -इत्यादि, मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा।

तो भैया जब एजेएल की संपत्ति एजेएल की है, एजेएल की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को, कानून में यंग इंडिया जब तक वह खरीदता नहीं है वह प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है एजेएल का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, कृपा यह बताएंगे कोई। यह कुछ नहीं बताया जाता है, बताया जाता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी तीन दिन, पांच दिन आइए इंटेरोगेशन के लिए। यह केस शुरू किया था माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, यह बड़ा रोचक एक प्रसंग है। उन्होंने जो केस शुरू किया... सरकार को कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं लगी थी, सरकार को कुछ नहीं लगा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। जब उन्होंने केस शुरू किया, कुछ दिन चला, उसके बाद खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक टेक्निकल प्रोसीजर के आधार पर अपने ही केस का दिल्ली हाई कोर्ट जाकर स्टे करवा दिया। मैजिस्ट्रेट से शुरू हुआ, सेशन कोर्ट में हुआ, उन्होंने जाकर स्टे... अभी तक स्टे पड़ा है। अलग से इसको हाईजैक करके और मैं समझता हूं स्वामी जी काफी क्षुब्ध होंगे इस हाईजैक से।

सरकार ने ये शुरू कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का नया केस, जो पहले कभी नहीं किया उन्होंने और उसके आधार पर लगभग दो दिन तक, कितने घंटे मुझे याद नहीं है सोनिया जी को बुलाया। उन्होंने सब प्रश्न बार-बार वही प्रश्न दोहराकर वापस उत्तर दे दिया, सभी डॉक्यूमेंट्स सैकड़ों बार दे दिए। राहुल गांधी जी को तो उन्होंने विशेष रूप से बुलाया पांच दिन। मैंने काउंट किया था शायद 55 घंटे बिठाकर रखा। उन्होंने वो सब प्रश्न आंसर कर दिए, सब वो दे दिए। अब उसी श्रृंखला में, उसी प्रक्रिया का जो अंत है, वो अब है यह कि उसमें चार्जशीट फाइल हुई है। बाय द वे आप लोगों को पता नहीं है शायद कि इसमें चार्जशीट का एक अवकाश मिलता है एक साल का, वो एक साल खत्म हो रहा था 9 अप्रैल को। तो उन्होंने चुपचाप 9 अप्रैल को फाइल कर दी। कल-परसों जो देखा आपने वह मीडिया ऑप्टिक्स थी, फाइल उन्होंने कर दी थी 9 अप्रैल को जब खत्म हो रही थी इसकी समय सीमा।

तो मैं एक बात अपनी ये अंत करना चाहता हूं कहकर- कि एक व्यक्ति ने... देखिए तीन लोग हो सकते हैं जो आरोप लगा सकते हैं। एक तो हैं ये एजेएल के शेयरहोल्डर्स, एक है जनता-जनार्दन, आप और मैं। इस 100 करोड़, 150 करोड़ के लोगों की आबादी में एक व्यक्ति ने चीटिंग एलीगेशन नहीं लगाया कि एजेएल में चीटिंग हुई है... एक व्यक्ति ने और मनी लॉन्ड्रिंग का मैंने आपको उत्तर दे दिया। तो मैं कंक्लूजन में इस मुद्दे पर यह कहूंगा कि यह एक... मैंने कहा था अजूबा है, दुनिया का आठवां अजूबा है यह। कानून का तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण अजूबा है, एक मील पत्थर है, जो तथ्य

विहीन है, जो कानून का मजाक है, जो कानून को विकृत करने की एक प्रक्रिया है, प्रतिशोध की राजनीति का द्योतक है, प्रताड़ित करने की राजनीति का द्योतक है, मीडिया लीग्स द्वारा काम चलाने का द्योतक है, दुष्प्रचार झलकाता है और यह प्रश्न उठाता है। रोचक प्रश्न है That in the last 8 years, 5,422 ECIR. ईसीआईआर होता है एफआईआर की जैसे पीएमएलए में। 5,422 और 5,300 एग्जैक्ट फिगर अभी अवेलेबल नहीं है, 8 साल में रजिस्टर हुआ है। इसका मतलब है 98 प्रतिशत, उससे पहले के फिगर अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें, तो 98 प्रतिशत पिछले 8 साल में यह केसेस रजिस्टर हुए हैं।

अब दूसरा प्रश्न आता है कि इसमें आपने कन्विक्शन कितने पाए हैं। जो इनका औपचारिक आंकड़ा कुछ महीनों पहले का है, वो है 25 कन्विक्शंस। उसका आंकड़ा अगर परसेंटेज टर्म में परिवर्तित करें तो लगभग 1 प्रतिशत है। हां अगर आप यह पूछें कि ये इतने सारे केसेस में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने हैं? तो अगर 100 केसेस ऐसे हैं, जो राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, तो 98 प्रतिशत उस 100 में से प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध हैं। जितने भी केस हों, पीएमएलए को एक कैटेगरी छोड़ दीजिए, जो बिजनेसमैन के विरुद्ध हैं, किसी और के विरुद्ध हैं। जितने भी केसेस राजनीतिक लोगों के विरुद्ध हैं, उसमें से 99 या 98 या 97 प्रतिशत प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध हैं और कन्विक्शन रेट आपकी 1 प्रतिशत रही है। यह प्रश्न उठता है कि ये सरकार ने इसको अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना रखा है ईडी को। सरकार ने इतनी बेशर्मी से बार-बार इसका दुरुपयोग किया है, बदले की कारवाई के लिए उपयोग किया है और आज तक, जो मैंने तथ्य उठाए हैं आपके सामने, उसकी बात कभी कोई नहीं करता है, कहीं नहीं।

आपको क्या बोलते हैं - तीन चीज बोलते हैं, कि अगर यह था तो खत्म क्यों नहीं हुआ केस। अरे भाई खत्म कैसे हुआ केस, अपनी प्रक्रिया में चलेगा, आप सरकार हैं आप चलाते हैं, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, समय लगता है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं कि यह पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन आप इसको लटकाना चाहते हैं, आप इसको एक पूरे मीडिया में और समाज में बार-बार दोहराना चाहते हैं। तथ्यों पर क्या आंसर है। कौन सा रुपया मूव किया, Beyond reasonable doubt क्या है? क्राइम कमिटेड क्या है? क्रिमिनल इंटेंट क्या है? फायदा किसने उठाया? इन किसी प्रश्न में आपको उत्तर नहीं मिलेगा। किसको कितना फायदा मिला? तो यह मूल मुद्दा है। इसलिए आपको बरगलाने, आपको बहकाने और पूरे देश को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं।

**श्री जयराम रमेश ने कहा -** शुक्रिया अभिषेक जी। मैं एक-दो प्वाइंट जो अभी अभिषेक सिंघवी जी ने उठाया है, उसको मैं फिर से दोहराऊंगा। पहली बात तो ये है कि हमारे

देश में और सारे विश्व में जो कंपनी लॉ होता है, जो कंपनी के लिए कानून बनाए जाते हैं, कंपनी खोलने के, कंपनी चलाने के, कंपनी बंद करने के जो कंपनी लॉ होते हैं, उस कंपनी लॉ के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी ऋण मुक्त होना चाहती है, तो उसके पास कई तरीके होते हैं और एक तरीका है कि एक नई कंपनी बनाओ और जो रोल आपके पास है, उसको ट्रांसफर करो। ये कोई क्राइम नहीं है, ये कानूनी व्यवस्था है, कानून में प्रावधान है और सारे विश्व में और हमारे देश में हजारों ऐसी मिसाल हैं, जहाँ कंपनियां ऋण से मुक्त होने के लिए नई कंपनी खोलते हैं और उसमें ऋण ट्रांसफर कर देते हैं।

तो पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, कंपनी एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मनी ही नहीं हैं, लॉन्ड्रिंग ही नहीं है और क्राइम कहाँ से आता है। क्राइम यही है कि दो व्यक्ति जिनकी मानसिकता आपराधिक मानसिकता है, वो एक फेक नैरेटिव चला रहे हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया तो विफल हो गई है, पर वो मानते हैं कि फेक इन इंडिया चलाओ। ये फेक नैरेटिव चला रहे हैं कि क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है, तो उन दो सूत्रधारों से हुआ है, जिन्होंने इस कानून का दुरुपयोग किया है और ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि क्राइम हुआ है, मनी ट्रांजेक्शन हुआ है, लॉन्ड्रिंग हुआ है। जो सवाल अभी सिंघवी जी ने उठाया है, पहले भी इन्होंने उठाया है और बार-बार उठाते रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं है।

तो ये बिल्कुल एक राजनीतिक मसला है, प्रतिशोध की राजनीति है। अपने विरोधियों के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी, प्रतिशोध, उत्पीड़न और डराने की राजनीति है और ये कानून के पीछे छुप रहे हैं और कह रहे हैं कि कानून का उल्लंघन हुआ है। कानून का उल्लंघन तो वही करते हैं, जिनकी मानसिकता आपराधिक होती है। तो राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक पार्टी होने के नाते, देश के 140 साल का इतिहास है, सबसे पुरानी पार्टी है, लंबा इतिहास है, हम पीछे हटेंगे नहीं और मैं एक चीज कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। जो बार-बार राहुल गांधी जी कहा करते थे और हमेशा कहते हैं कि जो लोग डराते हैं, वो खुद ही डरे हुए हैं। जो डरे हुए हैं, वो डराने की राजनीति अपनाते हैं और ये एक मिसाल है, जो बार-बार उठते रहता है।

**डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** इन्होंने एक रोचक बात कही - कि ऋण मुक्त करने के लिए सब लोग कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसमें मजे की बात सुनिए इस केस में। हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कंपनी 'ए' से कंपनी 'बी' में डेब्ट ट्रांसफर करते हैं। जो 'बी' कंपनी होती है वो नॉर्मल कमर्शियल कंपनी होती है। हमने एक ऐसी साजिश बनाई, हमारा उद्देश्य सोचिए आप। हमारा उद्देश्य है कि डेब्ट ट्रांसफर

किसको किया हमने - सेक्शन-8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को। मेरे मित्र जयराम जी बात कर रहे थे नॉर्मल कंपनियों की, जिसमें कंपनी 'ए' डेब्ट वाली, कंपनी 'बी' को डेब्ट ट्रांसफर कर देती है और कंपनी 'बी' डेब्ट लेने के बाद उस पर शेयर्स ले लेती है, यानी डेब्ट कनवर्टेड इन्यू इक्विटी। लेकिन यहां तो जो ट्रांसफर हुआ, वो नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन-8 चैरिटेबल कंपनी को हुआ। तो मानसिकता क्या थी, उद्देश्य क्या था... उद्देश्य था क्रिमिनलिटी। कोई महामूर्ख भी क्रिमिनल उद्देश्य से सेक्शन-8 कंपनी थोड़ी बनाएगा, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है।

**On a question that as the legal voice what is the next step that the party is going to take on the chargesheet, Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** Look! You know there are four facets to the whole thing. There is a political angle outside parliament, there is a political angle inside parliament, there is a legal angle and there is also media prospective because this is all being done to create an ambience everywhere, because people don't understand these facts. All four will be properly projected by this party. I am not at liberty to tell you our legal strategy obviously, but, let me assure you that there is a complete organized coordinated thinking on all four perspective and the first perspective starts with you. Because the best way to spread misinformation is to plant these stories in the media. So, it's important for you to clarify the basic facts of this case.

**On another question that the Congress as a political party cannot give funds to a private body, so how would you response to that charge of BJP, Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** Do you know for how many decades the congress has been giving funds by way of supporting an economically disadvantage AJL? The BJP was not aware on the political landscape when AJL started functioning. Sometime in 1950, sometime in 60, sometime in 70. Somebody gave 5 lakh, somebody gave 10 lakhs, 20 lakhs because we could not allow AJL to fall down. Did the BJP ever in any avtar raise an objection that accumulation over almost 50 years, was 90 crores? That is why AJL was doddering under a debt from home, from a commercial company, from its own congress party. So, where is the criminal intent? And is it a crime from the congress party who has started this with the certain set of ideas in the Independence Movement to support an economically struggling entity which it wants to succeed, in fact it wanted to rejuvenate by the transfer of this debt to young India? Does the BJP not do it every day for all its sister organisations called 'Panchjanya' and 'Organiser' and all this? Do they function on free air?

**Shri Jairam Ramesh added-** AJL was very much part of the congress party, was very part of the Freedom Movement. It was started by the congress party, it was started by our congress leader. It had congressmen as its members. So, you cannot separate the AJL from the Indian National Congress.

**On another question, Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** With his legal knowledge and his former law minister status, this is the last question I would have expected from Shri Ravi Shankar Prasad. Does he answer? This is the last question I would expect from a former law minister and an eminent lawyer. He should know that it is not the activity of a company which matters. It is a legal bar under the Company's Act on a Section 8 company which is not a normal company, which is a very unique company, which 90 percent of Indian population does not form because it has very serious restrictions on this activity by the statute. The first restriction is that whoever be its shareholder can't get one penny, why will you make a company we don't get a penny of dividend? The second restriction is that no perks are distributed, third restriction is that it is not listed in stock exchange. Tomorrow I can't buy a share and sell it to make a profit on the stock exchange.

So, the whole point of a Section 8 company is that by nature. If and when it earns. If and when, it will have to just plough it back into the company. So, the question is intended to mislead, the question is what charity does it do? Well, it is holding the shares of AJL which is supposed to be doing, the message of publishing the National Herald.

**एक अन्य प्रश्न पर कि रविशंकर प्रसाद ने इसी मुद्दे को लेकर जो बयान दिया है, उस पर क्या कहेंगे? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** देखिए, मुझे विशेष रूप से आश्चर्य है कि ऐसा प्रश्न माननीय पूर्व कानून मंत्री पूछेंगे, ये मुद्दा एक सिर्फ बरगलाने और बहकाने वाला है। प्रश्न ये बिल्कुल ही नहीं है, ये प्रश्न ईर्रेलेवेंट है पूरी तरह से कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है। सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी एक्ट के अंदर एक प्रतिबंधित कंपनी है। वो प्रतिबंधित इस प्रकार से है कि जिसके लिए 90-95 प्रतिशत लोग भारत में उस कंपनी के पास जाते ही नहीं है, बनाते ही नहीं हैं, वो चैरिटेबल इसलिए कहते हैं कि उसमें अगर एक पैसा या दस लाख या एक करोड़ या सौ करोड़ या हजार करोड़ आप अर्न करें, एक पैसा आप डिविडेंड के रूप में दे नहीं सकते हैं, उसको आप लिस्ट नहीं कर सकते स्टॉक एक्सचेंज में, उसके शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। उसमें कोई पर्क्स नहीं है, सैलरी, गाड़ी, घोड़ा कुछ नहीं है, सिटिंग फी भी नहीं है। अब उसमें ये पूछना कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी क्या कर रही थी, मतलब वो तो खुद ही बाय नेचर ऐसी कंपनी है, जो कि होल्ड कर रही थी शेयर एजेएल (AJL) के और एजेएल क्या करती है, एजेएल कोई स्टील बनाती है, एजेएल कोई हैंड बैग बनाती है, वो बेचारी रन करती है नेशनल हेराल्ड और उसकी 100 वर्ष पुरानी प्रॉपर्टी है, जिसका किसी का स्थानांतरण हुआ ही कहीं नहीं।

**एक अन्य प्रश्न पर के उत्तर में डॉ. सिंघवी ने कहा-** जैसा जयराम जी ने कहा, नेशनल हेराल्ड का, एजेएल का ऑरिजन क्या था, सोर्स क्या था। आप कांग्रेस पार्टी एजेएल और नेशनल हेराल्ड को जुदा कर सकते हैं क्या, वो तो अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं जन्म से और अगर नेशनल हेराल्ड जो एजेएल चलाता है, उसकी शेयर होल्डिंग 100 प्रतिशत होगी, तो क्या माननीय आडवाणी जी उसके डायरेक्टर होंगे? उसमें अगर कांग्रेस के लोग नहीं होंगे वरिष्ठ नेता, तो कौन होगा। अब उसमें कई लोग हैं, कोई नॉन गांधी भी हैं, गांधी भी हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये कैसा प्रश्न हुआ कि उसमें क्यों बनाया। हम क्या किसी बाहर के किसी गैर लोग को बनाते क्या?

**एक अन्य प्रश्न पर कि एजेंसी का ये कहना है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है? डॉ. सिंघवी ने कहा कि** ये तो मजाक है ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं समझ नहीं सकता कि एजेंसी जो कि स्ट्रैटुची बॉडी है, कैसे कह सकती है ये, ये किसके आंकड़े हैं, यंग इंडिया के हैं। दोनों कैसे एजेएल, यंग इंडिया के आंकड़े हैं ये, पूछिए, देखिए, पूछिए। ये वो आंकड़े हैं, जो चलाते हुए कितने सालों से, जो नॉर्मल चलाती है एजेएल नेशनल हेराल्ड को, एडवर्टाइजमेंट करती होगी जरुर। अगर नेशनल हेराल्ड चलता है, तो एडवर्टाइजमेंट आएगा भी उसमें। ये यंग इंडिया कहाँ से आ गया। यंग इंडिया शेयर होल्डर है। मैंने आपको 1955 का एक जजमेंट दिया, बच्चा गजर, (32.41), जिसमें कि जो-जो संपत्ति एजेएल की है, अगर एजेएल चलाएगी नेशनल हेराल्ड को, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आएगा। अगर एजेएल कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेटेगी, जो कि पिछले 100 साल से बेच सकती है वो, तो कुछ रुपया आएगा। वो रुपया सीधा यंग इंडिया को थोड़े जाता है, ये किसने बोल दिया आपको? जो भी आंकड़े आप देख रहे हैं, मैं आपका लेख नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्या पढ़ रहे हैं आप, लेकिन कभी हो ही नहीं सकता है कि इसमें लिखा हो कि यंग इंडिया को मिला हो ये।

**श्री जयराम रमेश ने इसी संदर्भ में कहा कि** बिल्कुल गलत है ये कहना कि यंग इंडिया को आमदनी हो रही है। ये सारी संपत्तियां एजेएल के थे, एजेएल के हैं और एजेएल के रहेंगे। कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो ये बार-बार कहना कि क्राइम प्रोसिड है, क्राइम प्रोसिड है, ये बिल्कुल गलत है। इसका मैं और कांग्रेस पार्टी पूरा खंडन करना चाहती है स्पष्ट तरीके से। संपत्तियां एजेएल के थे और एजेएल के हैं। कोई आमदनी नहीं हो रही है उन संपत्तियों से, जो यंग इंडिया के खाते में जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि आपने कहा कि यंग इंडिया सेक्शन 8 कंपनी है, जरा इसको थोड़ा सा समझाइए कि यंग इंडिया 50 लाख रुपए देकर 90 करोड़ की जो है, उसको ट्रांसफर करवा लेती है अपने नाम और आरोप ये लगता है कि यंग इंडिया पीछे रहकर**

**एजेएल की जो तमाम अचल संपत्तियां हैं, उसका सारा कंट्रोल भले मुनाफा नहीं कमा रही हो, लेकिन सिर्फ 50 लाख रुपए देकर ये पूरी संपत्तियों को इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है? डॉ. सिंघवी ने कहा-** देखिए, टैक्स का मुद्दा अलग है। पहली बात तो ये है, इसमें दो बहुत फंडामेंटल त्रुटियां हैं। जानबूझकर कांग्रेस पार्टी यंग इंडिया और एजेएल को एकदम दूर-दराज की स्ट्रेंजर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप_जानते हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, आईबीसी में, जिसको हेयरकट कहते हैं, असाइनमेंट अलाउ होता है या ऋण होता है 100 करोड़ का। असाइनमेंट होता है 10 प्रतिशत में, 20 प्रतिशत में। वो तो बाहर के स्ट्रेंजर को जाता है, अलाउड है कानून में, यानी मेरा जो ऋण है, मैं एक करोड़ की जगह दस लाख में इनको ट्रांस्फर, दस साल देंगी मुझे इस ऋण की हकदार ये हो जाएंगी, फिर इनको इशू करेंगी, जितना मिलेगा, इनको जाएगा। 10 प्रतिशत, 90 प्रतिशत हेयर कट हो जाता है। इसमें तो बाहर का स्ट्रेंजर कोई था ही नहीं। एजेएल इतने दिनों से जुड़ी भी थी कांग्रेस पार्टी से। अब कांग्रेस पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी अगर उसको डेट फ्री करना है एजेएल को, तो उसको कॉर्पोर्ट्राइज करके उससे ट्रांसफर किया 50 लाख में। Transfer or assignment of debt is a non-phenomenal law, how is it illegal? There are one million cases we do every day where a debt is transferred and assigned to strangers at a haircut of 90 percent. Here, there is no assignment to a stranger. There is an assignment to another organ which has got the '*Shirshasth Netratva*' of the Congress sitting on it. Second, error in this the same '*Bachcha Gajdhar*' error. Just because the 95 percent shareholder of AJL is young India. Therefore, young India is the owner of every property. ये पढ़िए, ये बड़ा बोरिंग लगता है, ये कानूनी लगता है, ये तकनीकी लगता है। उठाइए जजमेंट, उन्होंने कहा है कि अगर 100 प्रतिशत भी कंपनी का ऑन करता है, तो उस कंपनी के जो टेबल, कुर्सियां और जो जेवरात हैं, वो उस होल्डिंग कंपनी के नहीं होते हैं, मालिकाना हक जीरो होता है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि कानूनी लड़ाई तो आप लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो बीजेपी की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** देखिए, पहली बात तो कि सबसे बड़ा इसका उत्तर बड़ा सरल है कि उद्देश्य आपके अनुसार यानी आप नहीं बीजेपी के अनुसार है कि ये हड़पने के लिए कर रहा है, तो मैंने कहा कि इतना बड़ा मूर्ख उद्देश्य वाला तो कोई होगा ही नहीं ना। कोई भी कंपनी बना सकते थे, किसी और कंपनी के हजार तरीके थे उसको हड़पने के। आपने कभी सुना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस कि किसी आदमी ने सेक्शन 8 कंपनी बनाई, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया है। हड़पते कैसे हैं, सायफनिंग मनी ट्रेल, कोई और ट्रांजेक्शन, कहाँ हैं यहाँ पर? यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि आपने सिर्फ अपने जो

एक यंग इंडिया बनाई और उसमें गांधी बैठ गए, ये क्राइम है। तो मेरा मूल उत्तर आपके लिए कि जो उद्देश्य ही अपने आप में कभी क्रिमिनल हो नहीं सकता, क्योंकि आपने सेक्शन 8 कंपनी बनाकर उसके शेयर होल्ड किए, अगर उद्देश्य होता क्रिमिनल, तो मैं कुछ एकदम विपरीत चीज करता इसके।

**इसी संदर्भ में श्री जयराम रमेश ने कहा कि** मैं एक बात और कहूंगा इसमें कि यंग इंडिया जब बना काफी बातचीत के बाद सलाह ली गई विशेषज्ञों से, वकीलों से, जो कंपनी लॉ जानते थे उनसे, ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था। एजेएल को हम कैसे बचाएं, ऋण मुक्त कैसे करें, सलाह ली और काफी विचार-विमर्श के बाद ये यंग इंडिया की स्थापना की गई। तो ऐसा नहीं है कि यंग इंडिया की स्थापना के पीछे एक राजनीतिक मकसद था, नहीं, वो मकसद है, तो एक वित्तीय मकसद था एजेएल को बचाना और एजेएल कांग्रेस की विरासत है। तो वास्तविक है कि कांग्रेस के नेता यंग इंडिया से जुड़े रहें। विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही यंग इंडिया बना और यंग इंडिया बना, तो मेरा ये कहना है और सिंघवी साहब भी इसका समर्थन करेंगे कि इसमें कोई क्राइम नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं है। कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया बना है और कानून के मुताबिक ही यंग इंडिया चल रहा है।

**एक अन्य प्रश्न पर कि आपने ईडी के आंकड़े भी गिनाएं कि 100 में से 99 केस विरोधी पार्टी के नेताओं पर होते हैं, उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई, आरजेडी के नेता भी कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, वहाँ भी एंट्री हो सकती है ईडी की, तो क्या आप लोग ओपन प्लेटफॉर्म पर पूरा इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर आएगा और क्या 25 तारीख को भी आप लोग जैसे आज प्रदर्शन किया है, देशभर में प्रदर्शन करेंगे? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** देखिए, ये जो सामूहिक रूप से हमारा सहयोग है इस मुद्दे पर, ये पुराना है, कोई नया नहीं है। जब इंडिया अलायंस बनी उससे पहले से ही है। आज इस देश में ये बड़ा स्पष्ट कर दिया गया है बार-बार हमारे द्वारा हर फोरम से कि ये एक राजनीतिक द्वेष, प्रतिशोध वाली राजनीति है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने दो आपको बड़े विशेष आंकड़े दिए हैं तीन कि कन्विक्शन रेट आप अगर समझते हैं कि जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं केस वो तो दोषी है, वो तो क्रिमिनल है, तो एक्चुअल कन्विक्शन रेट एक से दो प्रतिशत भी नहीं होगी। नंबर तीन, ये जब भी आप पूछते हैं, ईडी से बोलते हैं हमने इतने सारे केस किए उसमें से सिर्फ 100, 200, 500, 1000 लोग राजनीतिक थे। ये प्रश्न नहीं है, वो जो राजनीतिक लोग थे 100, 200, 500 उसमें से राजनीतिक प्रतिद्वंदी कितने थे। उसमें से 95-97 प्रतिशत राजनीतिक प्रतिद्वंदी क्यों, क्यों है ये लॉन्ड्री फैक्ट्री, क्यों है ये कि ये पूरी वॉशिंग मशीन किसी एक

एनडीए, किसी एक बीजेपी के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होती है। तो ये मुद्दे तो अब सर्वविदित हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि बहुमत की धौंस जमाकर आप उसका दुरुपयोग करिए जब तक चलता है। किसी दिन आपको भी मालूम पड़ेगा कि क्या होता है इस प्रकार के गलत काम करने का, जनता इसको मानती नहीं है, बीजेपी के समर्थक भी नहीं मानते इस प्रकार की प्रतिशोध की राजनीति को।

**एक अन्य प्रश्न पर कि उस समय आर्थिक संकट इतना बढ़ गया था, तो यंग इंडिया नाम की नई कंपनी खोलने की क्या जरुरत थी, अगर इसको खोला गया तो इसमें आपने शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बना दिया, तो सवाल है कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम शेयर होल्डर में डालना था, इसलिए नई कंपनी बनाई गई? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** आप उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं, जिस प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है पहले। ये बात चल रही है 50 के पहले से, तब ये सब ढांचे नहीं सोचे गए थे। जैसा मेरे मित्र ने कहा उन सबको सोच-समझ कर, विशेषज्ञों से राय करके, जब आजकल कंपनी लॉ में, कानून में बहुत सारे ऐसे व्हीकल होते हैं, उसके आधार पर किया गया ये और इसका उद्देश्य एक ही था कि किस प्रकार से एजेएल को ऋण मुक्त किया जाए, किस प्रकार से नेशनल हेराल्ड एजेएल का पुर्न निर्माण हो और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से डिस्टेंट किया जाए और एक नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल सेक्शन 8 कंपनी बनाई जाए। ये सब चीजें विशेषज्ञों की रिपोर्ट, लिखित रिपोर्ट विचार-विमर्श के बाद हुई है, ये हवाबाजी में नहीं हुई है, कानून को देखकर हुई है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि उसके ऊपर हम किसको बैठाते, तो इसमें मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि कौन बैठते। अगर उसमें चार या पांच नॉन गांधी थे, दो गांधी थे, तो इसमें और कौन होंगे।

**एक अन्य प्रश्न पर कि लोन राइट ऑफ भी कर सकते थे? डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि** नहीं राइट ऑफ, प्वाइंट इज कि राइट ऑफ करने में फिर इनकम टैक्स के और प्रश्न आते कि आपने राइट ऑफ कैसे कर दिया, इंटरेस्ट चार्ज क्यों नहीं किया। इसमें तो हमने कंसीडरेशन दिखाया कि हमने जो ऋण है वो वहाँ दिया उसके बदले में इक्विटी मिली। देखिए, ये चीजें, चलिए मान लिया आप कह रहे हैं गलती की हमने, एक मिनट सुनिए आप, ये क्रिमिनल है क्या, मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अभी बात हमारी हो रही है, गलती की बात थोड़ी हो रही है। इनकम टैक्स में हुआ, नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, गलती हुई इसका मुझे पता नहीं। आज एक ही प्रश्न है इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ से आ गई, मैंने तो आज तक कभी सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी कोई सोच सकता कि सेक्शन 8 कंपनी बनाने को मनी लॉन्ड्रिंग कह दे कोई आदमी। मैंने कहा, हास्यास्पद होगा ये।

**इसी संदर्भ में श्री जयराम रमेश ने कहा कि** आप बार-बार शेयर होल्डर, शेयर होल्डर का जिक्र कर रहे हैं। शेयर होल्डर कौन होता है, जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में या आपको दिया जाता है शेयर, उस शेयर के आधार पर कुछ आमदनी होती है आपकी, कुछ इनकम होती है। उस इनकम को आप डिक्लेअर करते हैं। यंग इंडिया के जो कहते हैं शेयर होल्डर, उनकी क्या आमदनी है, बताइए, क्या इनकम हुई है? तो बार-बार ये शेयर होल्डर कहना, शेयर होल्डर कहना क्योंकि लोगों के मन में ये है, अगर आप शेयर होल्डर हैं, तो कुछ डिविडेंड मिल रहा होगा, कुछ आमदनी हो रही होगी। पर ये नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी है, इसमें कोई सिटिंग फी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। तो क्यों ऐसे बनाया गया। आमदनी ही नहीं थी, हालांकि हां, शेयर होल्डर है, पर इस शेयर के आधार पर उनको कुछ आमदनी नहीं हो रही है और वो जो संपत्तियां हैं, उन पर भी कोई कमाई नहीं है यंग इंडिया को, क्योंकि उन संपत्तियों के मालिक एजेएल थे और एजेएल रहेंगे।

**On another question that I just wanted to ask you what is the status of the debt that young India took upon itself from AJL, Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** The first question was that what happen to the debt? Obviously, the answer is inbuilt in my answer already given. It is the debt which was converted into equity debt become zero. The debt was 'X' the debt has become zero because a shares equivalent to the value of that debt have been issued to young India that's the meaning of conversion of debt into equity, now, you may disagree you are to disagree as the BJP does, but the point is that this is not a question which we can argue about.

**On another question that how has AJL been strengthened, Dr. Abhishek Manu Singhvi said-** Yes! AJL is naturally is strengthened if its book show zero debt. As against a debt of 90 crores if your book shows zero debt, are you strengthened or weakened? That's all, activity is not a question of strength you are talking of strength. My books of accounts have become zero debt I become ऋण free that's the whole point.

**Shri Jairam Ramesh added-** In a very simple way AJL can borrow now. Nobody is going into lend money to a company or an organisation that is deep in debt. There was a 90 crore rupees debt of AJL that has been cleaned up. So, it can now in a position to raise more money to strengthen itself, that's a very simple way of answering your sort of *'Gol-mol question'*.

**Sd/-**
**Secretary**
**Communication Deptt.**
**AICC**